रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2016/वैशाख 14, 1938
No. 178] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2016/ VAISAKHA 14, 1938

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2016

फा. सं. मानक/एफ़ एंड वी पी/ नोटिफ़िकेशन (02)/एफ़एसएसएआई -2016.— खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय विनियमों का, निम्नालिखित प्रारूप, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) धारा 92 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा प्राधिकरण के ईमेल पते regulation@fssai.gov.in पर भेजे जा सकेंगे ;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व खाद्य प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 के विनियम 2.3 के उप-विनियम 2.3.5 में निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि फलों को कृत्रिम रूप से फसल, किस्म और परिपक्वता पर निर्भर करते हुये 100 पीपीएम (0.01 प्रतिशत) सांद्रता पर इथाइलिन गैस का उपयोग करते हुये पकाया जा सकेगा"।

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन- III /4/असा./62(187)]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- III, खंड 4 में अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका पश्चात्वर्ती संसोधन निम्नलिखित अधिसूचना सं. द्वारा किया गया :

(i) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 8 फरवरी, 2013

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Food Safety and Standards Authority of India)
NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May 2016

F.No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016.- The following draft of certain regulations, further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred under sub section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or sent on email at regulation@fssai.gov.in ;

Objections and suggestions which may be received with respect to the said draft regulation before the expiry of the period so specified, will be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. **Short title and commencement** :- (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Amendment Regulations, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011, in Regulation 2.3, in sub regulation 2.3.5, the following proviso shall be inserted namely:-

"Provided that fruits may be artificially ripened by use of Ethylene gas at a concentration upto 100 ppm (0.01%) depending upon the crop, variety and maturity".

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[Advt.-3/4/Exty./62(187)]

Note. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers:

(i) F.No.4/15015/30/2011 dated the 8th February, 2013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.